

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, शामली वन प्रभाग, शामली।

सेवा में,

पत्रांक 1886 /14-1

दिनांक, शामली

24-04-2023

परियोजना निदेशक,
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण,
परियोजना क्रियान्वयन इकाई
बागपत।

विषय :-

जनपद शामली में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा Additional forest land diversion required for Eastern Yamuna canal falling in Shamli District for "Four laning of Panipat (Start from junction with Existing Km of NH-44 at Panipat) -to Shamli (End at its junction with Existing 39+300 of SH- 12) of NH-709AD in the State of Uttar Pradesh Package -1(0.000 to 35.580) 0.111 हे० संरक्षित वन भूमि के गैरवानिकी प्रयोग बिना वृक्ष पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ:-

प्रस्ताव संख्या-FP/UP/ROAD/147898/2021

भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ का पत्रांक 8बी/यू०पी०/०६/७३/२०२२/एफ०सी०/८१० दिनांक ०६.०१.२०२३

महोदय,

जनपद शामली में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण परियोजना क्रियान्वयन इकाई बागपत द्वारा जनपद शामली के अन्तर्गत Additional forest land diversion required for Eastern Yamuna canal falling in Shamli District for "Four laning of Panipat (Start from junction with Existing Km of NH-44 at Panipat) -to Shamli (End at its junction with Existing 39+300 of SH- 12) of NH-709AD in the State of Uttar Pradesh Package -1(0.000 to 35.580) 0.111 हे० संरक्षित वन भूमि के गैरवानिकी प्रयोग बिना वृक्ष पातन की अनुमति के सम्बन्ध में भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ के संदर्भित पत्र दिनांक ०६.०१.२०२३ जो अद्योहस्ताक्षरी के साथ-साथ आपको पृष्ठांकित भी है, के द्वारा विषयक परियोजना में सैद्धान्तिक स्वीकृति (Stage-1) जारी की गयी है।

सैद्धान्तिक स्वीकृति दिनांक ०६.०१.२०२३ में उल्लिखित शर्त सं०-३ व शर्त सं०-४ के अनुपालन में क्षतिपूरक वनीकरण एवं वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की धनराशियों का आंकलन निम्नानुसार है:-

1- क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु आवश्यक धनराशि					
पत्र संख्या	प्रभाग का नाम	क्षतिपूरक वृक्षारोपण का क्षेत्रफल (हे०में)	दर	धनराशि (रु०में)	भुगतान किये जाने सम्बन्धी विवरण
1	2	3	4	5	6
पत्र सं०-३	शामली वन प्रभाग	0.111 हे० संरक्षित वन भूमि के बदले 0.32 हे० अवनत वन भूमि अकबरपुर सुन्हेटी वन ब्लाक रेंज कैराना जनपद शामली में क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों के अनुरक्षण सहित धनराशि		3,44,000.00	प्रयोक्ता एजेंसी के ई-पोर्टल के माध्यम से उत्पन्न चालान से
योग:-				3,44,000.00	
2- संरक्षित वन का शुद्ध मूल्य (N.P.V) की धनराशि (भारत सरकार के पत्र संख्या-5-3/2011-एफ०सी० (VOI-1) दिनांक ०६.०१.२०२२ के अनुपालन में बढी हुई एन०पी०वी० (नई दर)					
पत्र सं०-४	शामली वन प्रभाग, शामली	0.111 हे०	12,28,590.00 प्रति हे०	1,36,373.00	
योग:-				1,36,373.00	

अतः उपरोक्तानुसार भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र दिनांक ०६.०१.२०२३ की छायाप्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है कि कृपया सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्त संख्या-३ के अनुपालन में 0.32 हे० अवनत वन भूमि में वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक अनुरक्षण हेतु धनराशि रुपये-3,44,000.00 (तीन लाख चवालीस हजार मात्र) एवं शर्त संख्या-४ के अनुपालन में 0.111 हे० संरक्षित वन भूमि का शुद्धवर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) की धनराशि रुपये- 1,36,373.00 (एक लाख

छत्तीस हजार तीन सौ तिहत्तर मात्र), तथा दण्डात्मक एन0पी0वी0 की धनराशि रुपये- 48276.00 (अड़तालीस हजार दो सौ छियत्तर मात्र) कुल धनराशि 528649.00 (पांच लाख अठठाईस हजार छः सौ उन्नाचास मात्र) की धनराशि प्रयोक्ता एजेंसी के ई-पोर्टल के माध्यम से उत्पन्न चालान से कैम्पा फण्ड में नियमानुसार चालान जनरेट करते हुए जमा कराने का कष्ट करें, तथा साथ ही भारत सरकार द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति दिनांक 06.01.2023 में उल्लिखित समस्त शर्त संख्या-1 से 26 तक की अनुपालन आख्या/प्रमाण पत्र/वचनबद्धताएँ 05 प्रतियों में इस कार्यालय को यथा शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि प्रकरण में अग्रेत्तर कार्यवाही किया जाना सम्भव हो सकें।
संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

प्रभागीय वन्यधिकारी
शामली

पत्रांक 1886/14-1 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1-मुख्य वन संरक्षक (वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी 17 राणा प्रताप मार्ग उ0प्र0 लखनऊ।
- 2-वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सहारनपुर वृत्त सहारनपुर।

प्रभागीय वन्यधिकारी
शामली

Panel Net Present Value (PNPV) Calculation for Proposed Forest Land for Diversion Project

Name:- Additional forest land diversion required for Eastern Yamuna Canal falling in Shamli District for Four Laning of Panipat (Start from Junction with Existing Km of NH-44 at Panipat) to Shamli (End at its Junction with Exitsting 39+300 of SH-12) of NH-709AD in The State of Utter Pradesh Package-1(0.000 to 35.580)

प्रस्ताव सं०-FP/UP/ROAD/147898/2021

सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त किये बिना संरक्षित वन भूमि (पूर्वी यमुना नहर पर) पुल निर्माण किये जाने पर भारत सरकार के पत्रांक एफ०नं० 11-42/2017 एफ०री० दिनांक 28.01.2018 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार

(माह नवम्बर 2021 से 2023 तक) दण्डात्मक एन०पी०वी० की गणना।

मई

1- प्रस्तावित संरक्षित भूमि की एन०पी०वी- रू० (0.111 हे०× 1228590.00)	= रू० 136373.00
2- 1.5 वर्ष की एन०पी०वी (136373×1.5)	= रू० 204559.5
3-1.5 वर्ष की एन०पी०वी पर 12 प्रतिषत साधारण ब्याज (204559.5×18/100)	= रू० 36820.71
4- 1.5 वर्ष की एन०पी०वीरू० 204559.5+1.5 वर्ष की एन०पी०वी पर 12 प्रतिषत ब्याज की धनराशि 36820.71 या 36821.00	= रू० 241380.21
5- उपरोक्त पर देय दण्डात्मक एन०पी०वी का 20 प्रतिषत (241380.21×20/100)	= रू० 48276.042
या 48276.00	
अतः कुल दण्डात्मक एन०पी०वी की धनराशि	= रू० 48276.00

स्थान:- शामली

दिनांक:-

(कन्हैया प्रदेल)
प्रमाणित वनाधिकारी
शामली वन प्रभाग
शामली

Net Present Value (N.P.V) Calculation for proposed forest Land for Diversion

Project Name:- Additional forest land diversion required for Eastern Yamuna canal falling in Shamli District for "Four laning of Panipat (Start from junction with Existing Km of NH-44 at Panipat) -to Shamli (End at its junction with Existing 39+300 of SH- 12) of NH-709AD in the State of Uttar Pradesh Package - 1(0.000 to 35.580)".

Proposal No: FP/UP/ROAD/147898/2021

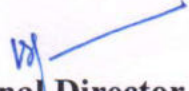
N.P.V Calculation is below for Proposed Land:-

Proposed forest land for diversion (Eco Class -III and Forest Density is 0.4=0.111 Ha.

Net Present Value (N.P.V) @ Rs 1228590 (For Vegetation density 0.4) per Ha.

Calculation N.P.V of Proposed Forest Land -0.111 X 1228590=

Rs. 1, 36,373.49 only.


**Divisional Director
Social Forestry Division, Shamli**

(डॉ० विनय कुमार सिंह)
प्रभागीय वन्यधिकारी
शामली वन प्रभाग
शामली

कार्यालय वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर।

पत्रांक- 2901 / 14-10(Road/147898/2021) दिनांक, सहारनपुर, 18/5/2023
सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र० लखनऊ।

विषय:- जनपद शामली में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रधिकरण द्वारा Additional forest land diversion required for Eastern Yamuna canal falling in Shamli District for, Four laning of Panipat (Start from junction with existing km of NH-44 at Panipat) to Shamli (End at its junction with existing 39+300 of SH-12) of NH 709AD in the State of Uttar Pradesh Package-1(0.000 to 35.580) 0.111 हे० संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ:- भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ का पत्रांक 8बी/यू०पी०/०६/७३/२०२२/एफ०सी०/८१० दिनांक ०६.०१.२०२३ एवं प्रभागीय वनाधिकारी, शामली का पत्रांक १९५६/१४-१ दिनांक ११.०५.२०२३

महोदय,

प्रभागीय वनाधिकारी शामली वन प्रभाग, शामली के उक्त संदर्भित पत्र दिनांक ११.०५.२०२३ में उल्लेख किया गया है कि विषयांकित प्रकरण में भारत सरकार के पत्र दिनांक ०६.०१.२०२३ द्वारा सैद्धान्तिक अनुमति निर्गत की गयी है, उक्त प्रस्ताव में पूर्व में ०.२५ हे० क्षेत्र में ५०० पौधों के रोपण एवं उनके आगामी १० वर्षों के अनुरक्षण हेतु परियोजना तैयार की गयी थी, जिसके स्थान पर ०.३२ हे० क्षेत्र में ८३२ वृक्षों के रोपण एवं उसके १० वर्षों तक अनुरक्षण की परियोजना तैयार किये जाने हेतु आपके कार्यालय स्तर से निर्देश दिये गये हैं। उक्त काम में प्रभागीय वनाधिकारी शामली वन प्रभाग, शामली द्वारा उक्तानुसार वांछित परियोजना प्रेषित करते हुये, परियोजना को प्रतिहस्ताक्षरित कर उच्च स्तर को प्रेषित करने का अनुरोध किया गया है।

अतः प्रभागीय वनाधिकारी शामली वन प्रभाग, शामली द्वारा प्रेषित उक्त परियोजना प्रतिहस्ताक्षरित करते हुये अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक- उक्तानुसार।

भवदीय,

(एन०के०जानू)

मुख्य वन संरक्षक

प्रभारी वन संरक्षक, सहारनपुर वृत्त
सहारनपुर।

संख्या 2901 / 14-10 (Road/147898/2021) दिनांकित।

प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी, शामली वन प्रभाग, शामली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(एन०के०जानू)

मुख्य वन संरक्षक

प्रभारी वन संरक्षक, सहारनपुर वृत्त
सहारनपुर।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, शामली वन प्रभाग, शामली।

सेवा मे,

पत्रांक 1956 / 14 1

दिनांक, शामली

11-05-2023

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक,
सहारनपुर वृक्ष सहारनपुर।

विषय :-

जनपद शामली में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा Additional forest land diversion required for Eastern Yamuna canal falling in Shamli District for "Four laning of Panipat (Start from junction with Existing Km of NH-44 at Panipat) -to Shamli (End at its junction with Existing 39+300 of SH- 12) of NH-709AD in the State of Uttar Pradesh Package -1(0.000 to 35.580) 0.111 हे० संरक्षित वन भूमि के गैरवानिकी प्रयोग बिना वृक्ष पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव संख्या-FP/UP/ROAD/147898/2021

भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ का पत्रांक 8वी/यू०पी०/०६/७३/२०२२/एफ०सी०/८१० दिनांक ०६.०१.२०२३ एवं पी०आई०यू० बागपत का पत्रांक NHAI/PIU-BPT/1012/709AD/I/2021/D-10568 दिनांक १०.०४.२०२३

संदर्भ:-

नहोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्रों के कम में जनपद शामली में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण परियोजना कियान्वयन इकाई बागपत द्वारा जनपद शामली के अन्तर्गत Additional forest land diversion required for Eastern Yamuna canal falling in Shamli District for "Four laning of Panipat (Start from junction with Existing Km of NH-44 at Panipat) -to Shamli (End at its junction with Existing 39+300 of SH- 12) of NH-709AD in the State of Uttar Pradesh Package -1(0.000 to 35.580) 0.111 हे० संरक्षित वन भूमि के गैरवानिकी प्रयोग बिना वृक्ष पातन की अनुमति के सम्बन्ध में भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ के संदर्भित पत्र दिनांक ०६.०१.२०२३ जो अधोहस्ताक्षरी साथ-साथ आपको पृष्ठांकित भी है, के द्वारा विषयक परियोजना में सैद्धान्तिक स्वीकृति (Stage-1) दी गयी है।

उक्त प्रस्ताव में पूर्व में ०.२५ हे० क्षेत्र में ५०० वृक्षों के पौधा रोपण एवं उनके आगामी १० वर्षों के अनुरक्षण हेतु परियोजना तैयार की गई थी, उसके स्थान पर नोडल अधिकारी कार्यालय के निर्देशों के कम में ०.३२ हे० क्षेत्र में ८३२ वृक्षों के रोपण एवं उनके आगामी १० वर्षों के अनुरक्षण की परियोजना कर कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि परियोजना को प्रतिहस्ताक्षरित करने की कृपा करें।

अग्नक:- परियोजना।

भवदीय

DM
16/05/23

प्रभागीय वनाधिकारी
शामली वन प्रभाग
शामली

Proposal No. FP/UP/ROAD/147898/2021 in Shamli में पूर्वी यमुना नहर पर पानीपत-खटीमा मार्ग एन0एच0-709ए0डी0 में पुल निर्माण में 0.111 हे0 संरक्षित वन भूमि के बदले 0.32 हे0 में बाधक वृक्षों के बदले 832 वृक्षों का पौधा रोपण हेतु परियोजना।

प्रथम चरण

रैंज का नाम		कैराना	योजना का नाम		कैम्पा सी0ए0	
सैक्शन का नाम		कैराना	जी0 पी0 एस0 रीडिंग		N 29 29 15.81	E 77 10 01.39
बीट का नाम		कैराना	क्षेत्रफल - 0.32 हेक्टेयर		रोपित पौध की संख्या- 832	
क्र0 सं0	कार्य का विवरण	इकाई	स्थल- अकबरपुर सुन्हेटी वन ब्लॉक			
1	2	3	मात्रा	दर	धनराशि	अनुसूचित दर
1.	सर्वेक्षण एवं सीमांकन कार्य	प्रति हे0	0.32	96.00	30.72	वन 1.1
2.	रोपण क्षेत्र की सफाई हेतु घनी झाड़ियों की सफाई कार्य	प्रति हे0	0.32	220.00	70.40	वन 2.1.1
3.	रेखांकन कार्य	प्रति गडढा	832	0.40	332.80	वन 3.2
4.	गडढा खुदान कार्य पथरीली / कंकरीली भूमि (0.45×0.45×0.45 मध्य में 0.80×0.15 मी0) अर्थ ऑगर द्वारा गडढा खुदान	प्रति गडढा	832	14.60	12147.20	वन 14.12.3
5.	खम्बे आर0सी0सी0 पोल क्रय करना (0.15×0.10×1.80 मी0)	प्रति खम्भा	50	404.00	20200.00	बाजारी दर
6.	खम्बे आर0सी0सी0 पोल की लदाई/उतरवायी	प्रति खम्भा	50	20	1000.00	बाजारी दर
7.	खम्बे आर0सी0सी0 पोल की ग्राउटिंग	प्रति खम्भा	50	105	5250.00	वन 17.8
8.	कांटेदार तार क्रय 575 मी0	प्रति कु0	5.9	13000.00	76700.00	बाजारी दर
9.	कांटेदार तार कि खिचाई कार्य	प्रति मीटर	900	0.90	810.00	वन 17.3
10.	पौध कय करना	प्रति पौ0	915	80.00	73200.00	अनुमानित
11.	बोर्ड	एक	1	8000.00	8000.00	बाजारी दर
12.	खाद/कीटनाशक	L.S.	L.S.	L.S.	1664.00	बाजारी दर
3.	खम्बे आर0सी0सी0 पोल पर पेंटिंग कार्य	प्रति खम्भा	50	100.00	5000.00	-
4.	अन्य व्यय 10 प्रतिशत	L.S.	L.S.	L.S.	19640.51	-
योग:-					216045.63	
आगामी वर्षों में श्रमिक दर वृद्धि 5 प्रतिशत					10802.28	
योग:-					227000.91	
					या	
					227000.00	

प्रभागीय वलाधिकारी
शामली वन प्रभाग
शामली

Proposal No. FP/UP/ROAD/147898/2021 in Shamli में पूर्वी यमुना नहर पर पानीपत-खटीमा मार्ग
एन0एच0-709ए0डी0 में पुल निर्माण में 0.111 हे0 संरक्षित वन भूमि के बदले 0.32 हे0 में बाधक वृक्षों के बदले 832 वृक्षों का
पौधा रोपण हेतु परियोजना।

द्वितीय चरण

रेंज का नाम		कैराना	योजना का नाम		कैम्पा सी0ए0	
सैक्शन का नाम		कैराना	जी0 पी0 एस0 रीडिंग		N 29 29 15.81	E 77 10 01.39
बीट का नाम		कैराना	क्षेत्रफल - 0.32 हेक्टेयर		रोपित पौध की संख्या- 832	
			स्थल- अकबरपुर सुन्हेटी वन ब्लाक			
क्र0 सं0	कार्य का विवरण	इकाई	मात्रा	दर	धनराशि	अनुसूचित दर
1	2	3	4	5	6	7
1.	गढढा भरान कार्य भूमि (0.45×0.45×0.45 मध्य में 0.80×0.15 मी0)	प्रति गढढा	832	2.30	1913.60	वन 5.3.1
2.	पौध डुलान 03 प्रतिषत अतिरिक्त दूरी कि0मी0 01 से 10 तक	प्रति पौध	857	12.20	10455.40	वन 9.4
3.	पौध रोपण (बडी एच0डी0पी0ई0 बैग पौध मय सिचाई व थावला बनवायी)	प्रति पौध	832	9.00	7488.00	वन 10.1.3
4.	निराई गुडाई 03 बार(832×3)	प्रति पौध	2496	1.40	3494.40	वन 11.1.1
5.	थावलाबंदी 02 बार(832×2)	प्रति पौध	1664	0.90	1497.60	वन 12
6.	सिचाई कार्य 4बार (832×4)	प्रति पौध	3328	1.05	3389.40	14.1.1
7.	अग्नि से बचाव हेतु घास एवं झाडी सफाई	प्रति हे0	0.32	3290	1052.80	वन 16
8.	अन्य व्यय				1709.20	-
योग:-					31000.00	
आगामी वर्षों में श्रमिक दर वृद्धि 5 प्रतिशत					1550.00	
योग:-					32550.00	
					या	
					33000.00	

प्रभागीय वनाधिकारी
 शामली वन प्रभाग
 शामली

तृतीय चरण

Proposal No. FP/UP/ROAD/147898/2021 in Shamli में पूर्वी यमुना नहर पर पानीपत-खटीमा मार्ग

एन0एच0-709ए0डी0 में पुल निर्माण में 0.111 हे0 संरक्षित वन भूमि के बदले 0.32 हे0 में बाधक वृक्षों के बदले 832 वृक्षों का पौधा रोपण हेतु परियोजना।

रेंज का नाम		कैराना	रोपण हेतु परियोजना।		कैम्पा सी0ए0	
सैक्शन का नाम		कैराना	योजना का नाम			
बीट का नाम		कैराना	जी0 पी0 एस0 रीडिंग		N 29 29 15.81	E 77 10 01.39
रोपित पौध की संख्या		832				
			क्षेत्रफल 0.32 हेक्टेयर			
			स्थल- अकबरपुर सुन्हेटी वन ब्लाक			
क्र0 सं0	कार्य का विवरण	इकाई	मात्रा	दर	धनराशि	अनुसूचित दर
1	2	3	4	5	6	7
1.	असफल गडढो की मिटटी ढीली करना	प्रति गडढा	83	3.70	307.10	18.1
2.	बिटिंग अप कार्य हेतु पौधो का डुलान 3 प्रतिषत अतिरिक्त दूरी कि0मी0 01 से 10 तक	प्रति पौध	83	9.00	747.00	9.1
3.	पौध रोपण (बडी एच0डी0पी0ई0 बैग पौध मय सिचाई व थावला बनवायी)	प्रति पौध	83	5.00	415.00	18.2.2
4.	निराई गुडाई 3 बार (832×3)	प्रति पौध	2496	1.40	3494.40	वन 11.1.1
5.	सिचाई 4 बार (832×4)	प्रति पौध	3328	1.05	3494.40	14.1.1
6	पौध कय करना	प्रति पौध	83	80.00	6640.00	
7.	अन्य आकस्मिक व्यय/फोटोग्राफी/औजार मरम्मत आदि	LS	—	—	902.10	—
योग:-					16000.00	
आगामी वर्षों में श्रमिक दर वृद्धि 5 प्रतिशत					800.00	
योग:-					16800.00	
					या	
					17000.00	

प्रभागीय वनाधिकारी
शामली वन प्रभाग
शामली

चतुर्थ चरण

Proposal No. FP/UP/ROAD/147898/2021 in Shamli में पूर्वी यमुना नहर पर पानीपत-खटीमा मार्ग एन0एच0-709ए0डी0 में पुल निर्माण में 0.111 हे0 संरक्षित वन भूमि के बदले 0.32 हे0 में बाधक वृक्षों के बदले 832 वृक्षों का पौधा रोपण हेतु परियोजना।

रैंज का नाम	कैराना	योजना का नाम	कैम्पा सी0ए0	
सैक्शन का नाम	कैराना	जी0 पी0 एस0 रीडिंग	N 29 29 15.81	E 77 10 01.39
बीट का नाम	कैराना			
रोपित पौध की संख्या	832			
		क्षेत्रफल 0.32 हेक्टेयर		
क्र0 सं0	कार्य का विवरण	इकाई	स्थल- अकबरपुर सुन्हेटी वन ब्लाक	
1	2	3	मात्रा	दर
1.	निराई गुड़ाई 3 बार (832×3)	प्रति पौध	2496	1.40
2.	सिचाई 4 बार (832×4)	प्रति पौध	3328	1.05
3.	अन्य आकस्मिक व्यय/फोटोग्राफी/औजार मरम्मत आदि	LS	—	—
	योग:-			
	आगामी वर्षों में श्रमिक दर वृद्धि 5 प्रतिशत		8000.00	
	योग:-		400.00	
			8400.00	

पंचम चरण

Proposal No. FP/UP/ROAD/147898/2021 in Shamli में पूर्वी यमुना नहर पर पानीपत-खटीमा मार्ग एन0एच0-709ए0डी0 में पुल निर्माण में 0.111 हे0 संरक्षित वन भूमि के बदले 0.32 हे0 में बाधक वृक्षों के बदले 832 वृक्षों का पौधा रोपण हेतु परियोजना।

रैंज का नाम	कैराना	योजना का नाम	कैम्पा सी0ए0	
सैक्शन का नाम	कैराना	जी0 पी0 एस0 रीडिंग	N 29 29 15.81	E 77 10 01.39
बीट का नाम	कैराना			
रोपित पौध की संख्या	832			
		क्षेत्रफल 0.32 हेक्टेयर		
क्र0 सं0	कार्य का विवरण	इकाई	स्थल- अकबरपुर सुन्हेटी वन ब्लाक	
1	2	3	मात्रा	दर
1.	निराई गुड़ाई 3 बार (832×3)	प्रति पौध	2496	1.40
2.	सिचाई 4 बार (832×4)	प्रति पौध	3328	1.05
3.	अन्य आकस्मिक व्यय/फोटोग्राफी/औजार मरम्मत आदि	LS	—	—
	योग:-			
	आगामी वर्षों में श्रमिक दर वृद्धि 5 प्रतिशत		8000.00	
	योग:-		400.00	
			8400.00	

प्रभागीय वनाधिकारी
शमली वन प्रभाग
शमली

षष्ठम चरण						
Proposal No. FP/UP/ROAD/147898/2021 in Shamli में पूर्वी यमुना नहर पर पानीपत-खटीमा मार्ग एन0एच0-709ए0डी0 में पुल निर्माण में 0.111 हे0 संरक्षित वन भूमि के बदले 0.32 हे0 में बाधक वृक्षों के बदले 832 वृक्षों का पौधा रोपण हेतु परियोजना।						
रेंज का नाम		कैराना	योजना का नाम		कैम्पा सी0ए0	
सैक्शन का नाम		कैराना	जी0 पी0 एस0 रीडिंग		N 29 29 15.81	E 77 10 01.39
बीट का नाम		कैराना				
रोपित पौध की संख्या		832	क्षेत्रफल 0.32 हेक्टेयर			
			स्थल- अकबरपुर सुन्हेटी वन ब्लाक			
क्र0 सं0	कार्य का विवरण	इकाई	मात्रा	दर	धनराशि	अनुसूचित दर
1	2	3	4	5	6	7
1.	निराई गुड़ाई 3 बार (832×3)	प्रति पौध	2496	1.40	3494.40	वन 11.1.1
2.	सिचाई 4 बार (832×4)	प्रति पौध	3328	1.05	3494.40	14.1.1
3.	अन्य आकस्मिक व्यय/फोटोग्राफी/औजार मरम्मत आदि	LS	—	—	1011.20	—
योग:-					8000.00	
आगामी वर्षों में श्रमिक दर वृद्धि 5 प्रतिशत					400.00	
योग:-					8400.00	

सप्तम चरण						
Proposai No. FP/UP/ROAD/147898/2021 in Shamii में पूर्वी यमुना नहर पर पानीपत-खटीमा मार्ग एन0एच0-709ए0डी0 में पुल निर्माण में 0.111 हे0 संरक्षित वन भूमि के बदले 0.32 हे0 में बाधक वृक्षों के बदले 832 वृक्षों का पौधा रोपण हेतु परियोजना।						
रेंज का नाम		कैराना	योजना का नाम		कैम्पा सी0ए0	
सैक्शन का नाम		कैराना	जी0 पी0 एस0 रीडिंग		N 29 29 15.81	E 77 10 01.39
बीट का नाम		कैराना				
रोपित पौध की संख्या		832	क्षेत्रफल 0.32 हेक्टेयर			
			स्थल- अकबरपुर सुन्हेटी वन ब्लाक			
क्र0 सं0	कार्य का विवरण	इकाई	मात्रा	दर	धनराशि	अनुसूचित दर
1	2	3	4	5	6	7
1.	निराई गुड़ाई 3 बार (832×3)	प्रति पौध	2496	1.40	3494.40	वन 11.1.1
2.	सिचाई 4 बार (832×4)	प्रति पौध	3328	1.05	3494.40	14.1.1
3.	अन्य आकस्मिक व्यय/फोटोग्राफी/औजार मरम्मत आदि	LS	—	—	1011.20	—
योग:-					8000.00	
आगामी वर्षों में श्रमिक दर वृद्धि 5 प्रतिशत					400.00	
योग:-					8400.00	

प्रभागीय वनाधिकारी
शामली वन प्रभाग
शामली

अष्टम चरण							
Proposal No. FP/UP/ROAD/147898/2021 in Shamli में पूर्वी यमुना नहर पर पानीपत-खटीमा मार्ग एन0एच0-709ए0डी0 में पुल निर्माण में 0.111 हे0 संरक्षित वन भूमि के बदले 0.32 हे0 में बाधक वृक्षों के बदले 832 वृक्षों का पौधा रोपण हेतु परियोजना।							
रेंज का नाम		कैराना	योजना का नाम		कैम्पा सी0ए0		
सैक्शन का नाम		कैराना	जी0 पी0 एस0 रीडिंग		N 29 29 15.81	E 77 10 01.39	
बीट का नाम		कैराना					
रोपित पौध की संख्या		832	क्षेत्रफल 0.32 हेक्टेयर				
			स्थल- अकबरपुर सुन्हेटी वन ब्लाक				
क्र0 सं0	कार्य का विवरण	इकाई	मात्रा	दर	धनराशि	अनुसूचित दर	
1	2	3	4	5	6	7	
1.	निराई गुड़ाई 3 बार (832×3)	प्रति पौध	2496	1.40	3494.40	वन 11.1.1	
2.	सिचाई 4 बार (832×4)	प्रति पौध	3328	1.05	3494.40	14.1.1	
3.	अन्य आकस्मिक व्यय/फोटोग्राफी/औजार मरम्मत आदि	LS	—	—	1011.20	—	
योग:-					8000.00		
आगामी वर्षों में श्रमिक दर वृद्धि 5 प्रतिशत					400.00		
योग:-					8400.00		

नवम चरण						
Proposai No. FP/UP/ROAD/147898/2021 in Shamii में पूर्वी यमुना नहर पर पानीपत-खटीमा मार्ग एन0एच0-709ए0डी0 में पुल निर्माण में 0.111 हे0 संरक्षित वन भूमि के बदले 0.32 हे0 में बाधक वृक्षों के बदले 832 वृक्षों का पौधा रोपण हेतु परियोजना।						
रेंज का नाम		कैराना	योजना का नाम		कैम्पा सी0ए0	
सैक्शन का नाम		कैराना	जी0 पी0 एस0 रीडिंग		N 29 29 15.81	E 77 10 01.39
बीट का नाम		कैराना				
रोपित पौध की संख्या		832	क्षेत्रफल 0.32 हेक्टेयर			
			स्थल- अकबरपुर सुन्हेटी वन ब्लाक			
क्र0 सं0	कार्य का विवरण	इकाई	मात्रा	दर	धनराशि	अनुसूचित दर
1	2	3	4	5	6	7
1.	निराई गुड़ाई 3 बार (832×3)	प्रति पौध	2496	1.40	3494.40	वन 11.1.1
2.	सिचाई 4 बार (832×4)	प्रति पौध	3328	1.05	3494.40	14.1.1
3.	अन्य आकस्मिक व्यय/फोटोग्राफी/औजार मरम्मत आदि	LS	—	—	1011.20	—
योग:-					8000.00	
आगामी वर्षों में श्रमिक दर वृद्धि 5 प्रतिशत					400.00	
योग:-					8400.00	

प्रभागीय वनाधिकारी
शामली वन प्रभाग
शामली

दशम चरण

Proposal No. FP/UP/ROAD/147898/2021 in Shamli में पूर्वी यमुना नहर पर पानीपत-खटीमा मार्ग एन0एच0-709ए0डी0 में पुल निर्माण में 0.111 हे0 संरक्षित वन भूमि के बदले 0.32 हे0 में बाधक वृक्षों के बदले 832 वृक्षों का पौधा रोपण हेतु परियोजना।

रेंज का नाम		कैराना	योजना का नाम		कैम्पा सी0ए0	
सेक्शन का नाम		कैराना	जी0 पी0 एस0 रीडिंग		N 29 29 15.81	E 77 10 01.39
बीट का नाम		कैराना				
रोपित पौध की संख्या		832	क्षेत्रफल 0.32 हेक्टेयर			
		स्थल- अकबरपुर सुन्हेटी वन ब्लाक				
क्र0 सं0	कार्य का विवरण	इकाई	मात्रा	दर	धनराशि	अनुसूचित दर
1	2	3	4	5	6	7
1.	निराई गुड़ाई 3 बार (832×3)	प्रति पौध	2496	1.40	3494.40	वन 11.1.1
2.	सिचाई 4 बार (832×4)	प्रति पौध	3328	1.05	3494.40	14.1.1
3.	अन्य आकस्मिक व्यय/फोटोग्राफी/औजार मरम्मत आदि	LS	—	—	1011.20	—
योग:-					8000.00	
आगामी वर्षों में श्रमिक दर वृद्धि 5 प्रतिशत					400.00	
योग:-					8400.00	

एकादशम चरण

Proposal No. FP/UP/ROAD/147898/2021 in Shamli में पूर्वी यमुना नहर पर पानीपत-खटीमा मार्ग एन0एच0-709ए0डी0 में पुल निर्माण में 0.111 हे0 संरक्षित वन भूमि के बदले 0.32 हे0 में बाधक वृक्षों के बदले 832 वृक्षों का पौधा रोपण हेतु परियोजना।

रेंज का नाम		कैराना	योजना का नाम		कैम्पा सी0ए0	
सैक्शन का नाम		कैराना	जी0 पी0 एस0 रीडिंग		N 29 29 15.81	E 77 10 01.39
बीट का नाम		कैराना				
रोपित पौध की संख्या		832	क्षेत्रफल 0.32 हेक्टेयर			
			स्थल- अकबरपुर सुन्हेटी वन ब्लॉक			
क्र0 सं0	कार्य का विवरण	इकाई	मात्रा	दर	धनराशि	अनुसूचित दर
1	2	3	4	5	6	7
1.	निराई गुड़ाई 3 बार (832×3)	प्रति पौध	2496	1.40	3494.40	वन 11.1.1
2.	सिचाई 4 बार (832×4)	प्रति पौध	3328	1.05	3494.40	14.1.1
3.	अन्य आकस्मिक व्यय/फोटोग्राफी/औजार मरम्मत आदि	LS	—	—	1011.20	—
योग:-					8000.00	
आगामी वर्षों में श्रमिक दर वृद्धि 5 प्रतिशत					400.00	
योग:-					8400.00	

प्रभागीय वनाधिकारी
शामली वन प्रभाग
शामली

द्वादशम चरण						
Proposal No. FP/UP/ROAD/147898/2021 in Shamli में पूर्वी यमुना नहर पर पानीपत-खटीमा मार्ग एन0एच0-709ए0डी0 में पुल निर्माण में 0.111 हे0 संरक्षित वन भूमि के बदले 0.32 हे0 में बाधक वृक्षों के बदले 832 वृक्षों का पौधा रोपण हेतु परियोजना।						
रैंज का नाम		कैराना	योजना का नाम		कैम्पा सी0ए0	
सैक्शन का नाम		कैराना	जी0 पी0 एस0 रीडिंग		N 29 29 15.81	E 77 10 01.39
बीट का नाम		कैराना				
रोपित पौध की संख्या		832	क्षेत्रफल 0.32 हेक्टेयर			
			स्थल- अकबरपुर सुन्हेटी वन ब्लॉक			
क्र0 सं0	कार्य का विवरण	इकाई	मात्रा	दर	धनराशि	अनुसूचित दर
1	2	3	4	5	6	7
1.	निराई गुडाई 3 बार (832×3)	प्रति पौध	2496	1.40	3494.40	वन 11.1.1
2.	सिचाई 4 बार (832×4)	प्रति पौध	3328	1.05	3494.40	14.1.1
3.	अन्य आकस्मिक व्यय/फोटोग्राफी/औजार मरम्मत आदि	LS	—	—	1011.20	—
योग:-					8000.00	
आगामी वर्षों में श्रमिक दर वृद्धि 5 प्रतिषत					400.00	
योग:-					8400.00	

सारांश

क्रम संख्या	चरण	कार्य का नाम	व्यय होने वाली धनराशि
1	प्रथम	अग्रिम मृदा कार्य	2,27000.00
2	द्वितीय	वृक्षारोपण कार्य	33000.00
3	तृतीय	बिटिंग अप कार्य व अनुरक्षण कार्य	8400.00
4	चतुर्थ	वृक्षारोपण अनुरक्षण कार्य	8400.00
5	पंचम	वृक्षारोपण अनुरक्षण कार्य	8400.00
6	षष्ठम	वृक्षारोपण अनुरक्षण कार्य	8400.00
7	सप्तम	वृक्षारोपण अनुरक्षण कार्य	8400.00
8	अष्टम	वृक्षारोपण अनुरक्षण कार्य	8400.00
9	नवम	वृक्षारोपण अनुरक्षण कार्य	8400.00
10	दशम	वृक्षारोपण अनुरक्षण कार्य	8400.00
11	एकादशम	वृक्षारोपण अनुरक्षण कार्य	8400.00
12	द्वादशम	वृक्षारोपण अनुरक्षण कार्य	8400.00
योग:-			3,44000.00

प्रभागीय वनाधिकारी
शामली वन प्रभाग

शामली

प्रतिष्ठित अधिकारी
(अनुरक्षण विभाग)
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र



भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
Integrated Regional Office, Lucknow



केन्द्रीय भवन पंचम तल, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ-226024
Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow-226024, Telefax-2326696
Email: roc2.lko-mef@nic.in

पत्र सं० 8बी/यू०पी०/०६/७३/२०२२/एफ०सी० / १५०

दिनांक: 06.01.2023

सेवा में,

अति० मुख्य सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन, बापू भवन, लखनऊ।

Online Proposal No. FP/UP/Road/147898/2021

विषय: जनपद शामली में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा Additional forest land diversion required for Eastern Yamuna Canal falling in Shamli District for "Four laning of Panipat (Start from junction with Existing Km of NH-44 at Panipat) to Shamli (End at its junction with existing 39+300 of SH-12) of NH-709AD in the State of Uttar Pradesh" Package-I (0-000 to 35-580) 0.111 हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग बिना वृक्ष पातन की अनुमति के सम्बंध में।

सन्दर्भ: मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी का पत्रांक 1322/11-सी-FP/UP/Road/147898/2021, दिनांक 10.10.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयक राज्य शासन के पत्रांक पी-134/81-2-2022-800(125)/2022 दिनांक 30.05.2022 का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा राज्य सरकार ने विषयांकित प्रस्ताव पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के तहत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी थी।

प्रश्नगत प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन हुआ था। इस सम्बन्ध में प्रकरण दिनांक 06.10.2022 को आहूत क्षेत्रीय सशक्त समिति (REC) की बैठक में सम्मिलित किया गया था तथा क्षेत्रीय सशक्त समिति (REC) की बैठक में स्वीकृति पश्चात् प्रकरण को मंत्रालय की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया था।

मंत्रालय की स्वीकृति पश्चात् मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि केन्द्र सरकार जनपद शामली में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा Additional forest land diversion required for Eastern Yamuna Canal falling in Shamli District for "Four laning of Panipat (Start from junction with Existing Km of NH-44 at Panipat) to Shamli (End at its junction with existing 39+300 of SH-12) of NH-709AD in the State of Uttar Pradesh" Package-I (0-000 to 35-580) 0.111 हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग बिना वृक्ष पातन की सैद्धांतिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है:-

1. Legal status of the forest land shall remain unchanged.
2. Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department over an area of 0.32 ha degraded forest land in Akbarpur Sunheti Forest Block, Range Kairana, Shamli Forest Division, Shamli at the cost of the user agency. As far as possible, a mixture of local indigenous species shall be planted and monoculture of any species may be avoided.
3. The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA plantation will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.

4. The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 0.111 ha forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt.II) dated 18/09/2003, as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 05/02/2009.

Revised amount of NPV as applicable as per orders dated 06-01-2022 and 19-01-2022 shall be deposited by User Agency in this regard.

5. Penal NPV shall be deposited and confirmation needs to be submitted.
6. Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.
7. The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.
8. Plantation shall be raised on both sides of the road and median by the State Forest Department at the cost of User Agency according to IRC guidelines and order passed by NGT in OA no. 27/2015 in the matter of Babulal Jaju v/s State of Rajasthan and others dated 16.11.2015. Scheme for roadside plantation shall be submitted.
9. Speed regulating signage will be erected along the road at regular intervals in the Protected Areas/ Forest Areas.
10. The user agency shall provide suitable under / over pass in Protected Area / Forest Area as per recommendations of CWLW / NBWL / FAC / REC.
11. User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if applicable.
12. The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.
13. No labour camp shall be established on the forest land.
14. Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel.
15. The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer.
16. No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.
17. The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less.
18. The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.
19. The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India.

20. The KML file of the area to be diverted, the CA areas, the proposed SMC work, the proposed Catchment Area Treatment area and the WLMP area shall be uploaded on the e-Green watch portal with all requisite details before commencement of works.
21. Any order of Temporary Work Permission in case of linear projects for tree cutting and commencement of work as per clause 11.2 of FCA Guidelines shall be passed under intimation to Nodal office and this office. Order of Temporary Work Permission have to be uploaded on PARIVESH Portal as well. Nodal Officer will strictly monitor and ensure that no further activity is carried out under such permission after the expiry of one year from the date of issue of such permission.
22. The State Govt. shall submit detailed report on violation of FC Act, 1980 including extent of construction works done by user agency and name of authority responsible for violation/granting permission need to be submitted.
23. Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guideline F. No. 11-42/2017-FC dt 29/01/2018.
24. Any other condition that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife.
25. All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/ deposited to CAMPA fund only through (<https://parivesh.nic.in/>).
26. The compliance report shall be uploaded on e-portal (<https://parivesh.nic.in/>).

After receipt of compliance report on fulfillment of all of the above conditions from the State Government, proposal will be considered for final approval under Section-2 of the Forest (Conservation) Act, 1980, by this office.

The order for transfer of forest land to user agency shall not be issued by the State Government till final approval order for diversion of forest land is issued by Government of India.

भवदीया,

(डॉ० प्राची गंगवार)
उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि (ईमेल द्वारा):

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक(हॉफ), वन विभाग, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ०प्र०।
2. मुख्य वन संरक्षक(वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी, वन विभाग, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ०प्र०।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, शामली वन प्रभाग, शामली।
4. परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण परियोजना इकाई बागपत।
5. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु/आदेश पत्रावली

(डॉ० प्राची गंगवार)
उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)

